

संख्या- 01 /2026/आर0एफ0- 002/नौ-9-2026/002-ई-2036529

प्रेषक,

राजेश्वरी प्रसाद,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिकासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद,  
ककराला, जनपद-बदायूं/गाजीपुर, जनपद-गाजीपुर/मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ/  
शाहाबाद, मल्लावों, जनपद-हरदोई/।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 10 मई, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में 'पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' अनुदान संख्या-37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर पालिका परिषदों के कार्यों/परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित नगरीय निकायों द्वारा पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान सं०-37 के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। उपर्युक्त निकायों द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव, कुल लागत धनराशि ₹ 679.01 लाख (रूपये छः करोड़ उन्चासी लाख एक हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये कार्ययोजना में स्वीकृत धनराशि ₹ 600.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि ₹ 300.00 लाख (रूपये तीन करोड़ मात्र) अनुदान संख्या-37, पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा० राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नगर पालिका परिषद

अनुदान संख्या-37

(धनराशि लाख ₹० में)

क्र० सं०	निकाय/जनपद का नाम	मद/कार्य	निकायों से प्राप्त डी० पी० आर० के अनुसार कार्यों की प्राक्कलित लागत/प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति	स्तम्भ-(4) के सापेक्ष कार्ययोजना में अनुमोदित धनराशि	स्तम्भ-(5) में उल्लिखित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जा रही 50 प्रतिशत धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	नगर पालिका परिषद, ककराला, जनपद-बदायूँ	1. वार्ड नं0 01 में निर्माण कार्य सी0सी0 रोड मय नाली नफीस ठेकेदार के मकान से आसरार के मकान होते हुए कमर मोहम्मद के मकान तक।	10.73		
		2. वार्ड नं0-06 निर्माण कार्य सी0सी0 रोड मय नाली जयारत शरीफ से शब्बर अली के मकान तक।	6.25		
		3. वार्ड नं0-07 में निर्माण कार्य सी0सी0 रोड मय नाली सुरेश के मकान से वीरेंद्र के मकान होते हुए डोरी के मकान तक।	2.56		
		4. वार्ड नं0-09 में रिक्की की दुकान से कल्लू तहजीब के मकान तक सी0सी0 रोड व दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य।	14.22		
		5. वार्ड नं0-09 में निर्माण कार्य सी0सी0 रोड मय नाली नेकराम के मकान से शमशाद की चक्की तक।	15.71		
		6. वार्ड नं0-09 में सियाराम के मकान से जीनत मदरसे तक सी0सी0 रोड एवं दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य।	14.22		
		7. वार्ड नं0-09 में निर्माण कार्य सी0सी0 रोड मय नाली लईक अली के मकान से जहीरूल के मकान तक।	13.76		
		8. वार्ड नं0-15 में निर्माण कार्य सी0सी0 रोड मय नाली साकिर अली के मकान से शाजिद के मकान तक।	2.26		
		9. वार्ड नं0-17 में निर्माण कार्य सी0सी0 रोड मय नाली जाकिर लंबरदार के मकान से पी0डब्लू0डी0 रोड तक एवं रिजवान के मकान से इकरार के मकान तक।	9.14		
		10. वार्ड 17 में निर्माण कार्य सी0सी0 रोड मय नाली पी0डब्लू0डी0 रोड से मुजाहिद तक।	14.07		
	<b>योग</b>	<b>102.92</b>	<b>100.00</b>	<b>50.00</b>	
2	नगर पालिका परिषद, गाजीपुर, जनपद-गाजीपुर	1. सहजानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय के गेट नं0-02 से गोराबाजार मेन रोड तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	52.80		
		2. नखास तिराहा से तुलसिया का पुल मोड़ बाँया भैरव की दुकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	51.01		
		3. लंका तिराहा स्थित कृष्णा मेडिकल कॉर्नर से अम्बेडकर पार्क होते हुए सांसद तिराहा तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	63.97		
	<b>योग</b>	<b>167.78</b>	<b>100.00</b>	<b>50.00</b>	
3	नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन, जनपद मऊ	1. वार्ड नं0 19 ठकुरमनपुर के सिंघलपुरा चौहान बस्ती में सखराज के मकान से रविन्द्र के मकान तक कवर्ड नाली व कमलाकान्त, गणेश चौहान, अर्जुन चौहान, स्वामीनाथ चौहान, जलनार्दन चौहान के मकान होते हुए मोहन के मकान तक कवर्ड नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	27.51		
		2. वार्ड नं0 20 बख्तावरगंज के सनेगपुर में राजभर बस्ती में अनुरुद्ध लालधारी के मकान होते हुए हरेन्द्र के मकान तक व गली, रामेश्वर, बाबू राजभर, जयराम राजभर व गली अनिरुद्ध राजभर के मकान तक कवर्ड नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य ।	22.74		
		3. वार्ड नं0 18 मुहल्ला वैरवगा कोल्हाड़ नदी उस पार से नागा बाबा की कुटी, विष्णाचल, राजा श्याम नारायण राजभर, सुरेश, विरेन्द्र, विभा तथा अभिषेक व विनोद के मकान होते हुए डीह बाबा के स्थान तक 07 मी० लम्बा पोल आक्टागोनल सिंगल आर्म के साथ स्ट्रीट लाईट, भूमिगत पाईप केबिल के माध्यम से अधिष्ठापन कार्य ।	30.40		

		4. वार्ड नं० 18 मुहल्ला वैरवगा कोल्हाड़ नदी उस पार से नागा बाबा की कुटी के पास एवं अन्य तीन स्थानों पर कुल 04 अदद 16 मीटर हाईमास्ट लाईट अधिष्ठापन का कार्य।	26.86		
		<b>योग</b>	<b>107.51</b>	<b>100.00</b>	<b>50.00</b>
4	नगर पालिका परिषद, शाहाबाद, जनपद-हरदोई	1. मो० अख्तियारपुर में डा० शाहिद के ट्यूबवेल से लालपुर में शिवकुमार के मकान होते हुए भोलेनाथ बाबा मंदिर तक स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन कार्य।	80.07		
		2. मो० सुलेमानी में अम्बेडकर प्रतिमा से सक्सेना के मकान तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	39.55		
		3. मो० खेड़ा बीबीजई में किरन के मकान से मलिन बस्ती होते हुए वीरेश के मकान तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	24.58		
		4. मो० हाता सुभान खां में चुन्ना के मकान से फरमूद के मकान तक एवं अली अहमद के मकान सोहेल के मकान तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	19.35		
		5. मो० अल्लाहपुर इन्जेजई में ऐगवां रोड से बब्बू कालीन वाले के मकान से होते हुए लाला के मकान तक सी०सी० सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	26.07		
		6. मो० नई बस्ती में अरविंद के मकान से मंदिर होते हुए मायाराम के मकान तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	5.76		
		7. मो० गिलजई में अनवर अली के मकान से अय्यूब के मकान तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	4.97		
		<b>योग</b>	<b>200.35</b>	<b>200.00</b>	<b>100.00</b>
5	नगर पालिका परिषद, मल्लावों, जनपद-हरदोई	1. वार्ड 4 उमाकान्ती दीक्षित के मकान से नूर मस्जिद तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	7.32		
		2. वार्ड 20 में जैनुल हसन के मकान से मुशीर अहमद के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	8.40		
		3. वार्ड 16 गंगारामपुर प्राथमिक विद्यालय से यामीन के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	9.97		
		4. वार्ड 13 मोहल्ला मिर्जापुर में जमुना हलवाई के मकान से बऊवा के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	6.92		
		5. वार्ड 13 लालता के मकान से करूददीन के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	7.95		
		6. वार्ड 03 में हनीफ के मकान से मस्जिद तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	4.01		
		7. वार्ड 21 बब्बू चाय वाले की दुकान के सामने से रफीउददीन के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	9.98		
		8. वार्ड 03 बडका मेहतर के मकान से मस्जिद तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	9.98		
		9. वार्ड 24 अब्दुल सईद अंसारी के मकान से शकील खान के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	7.44		
		10. वार्ड 25 सदाश्याम हलवाई के मकान से रशीद छोटा के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	5.21		
		11. वार्ड 25 में मंगल के मकान से मेहदीहसन के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	5.10		

	12. वार्ड 20 में राशिद के मकान से मेहदीहसन के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	9.99		
	13. वार्ड 21 में सदुल्ला के मकान से राजाराम गुप्ता कोटेदार के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	8.18		
	<b>योग</b>	<b>100.45</b>	<b>100.00</b>	<b>50.00</b>
	<b>कुल योग (नगर पालिका परिषद : अनुदान सं0-37)</b>	<b>679.01</b>	<b>600.00</b>	<b>300.00</b>

### नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को व्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-बी-4-918/दस-2006-8/1965टी0सी0 दिनांक-21.09.2006 की व्यवस्थानुसार 03 वर्ष के मॉरीटोरियम के पश्चात दस समान वार्षिक किश्तों में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत निकायों को प्राप्त होने वाली धनराशि से समायोजन द्वारा वापसी सुनिश्चित की जायेगी।
- (2) संबंधित निकाय द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0/आगणन में प्रस्तावित/प्राक्कलित लागत एवं योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही कुल धनराशि के अन्तर की धनराशि निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से वहन की जायेगी।
- (3) अयमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्य हेतु व्यय की जायेगी।
- (4) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायगा अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय का होगा सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायगा।
- (6) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं एवं मानकों को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससयम पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- (8) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर डिस्पले बोर्ड पर योजना का नाम अर्थात् पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जाएगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।
- (9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

- (10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समपद्धत रूप से सुनिश्चित किया जाए। सामग्री/ उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाएगा। विद्युत कार्यों के लिये शासनादेश संख्या-1383/ 9-9-14-943/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या-227/2015/1689-नौ-8-2015-96/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (11) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
- (12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (13) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
- (14) स्वीकृत कार्यों के लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी।
- (15) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा तथा आकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- (16) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
- (17) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (18) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष (31 मार्च, 2027 तक) में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
- (19) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/अभियंता उत्तरदायी होंगे।
- (20) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।
- (21) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग नीति आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0 सी0एस0टी0/टी0एस0सी0 हेतु निर्धारित मानक व दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाये।
- (22) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग शासनादेश संख्या-1319/नौ-9-21-457/21, दिनांक 30.06.2021 तथा यथा-संशोधित शासनादेश संख्या-1125/नौ-9-2025/45/2021-ई-1749112, दिनांक-04.06.2025 एवं संख्या-1124/नौ-9-2025/45ज/2021-ई-1749112, दिनांक-04.06.2025 द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure SOP) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।
- (23) प्रशा0 विभाग द्वारा 'सैंटेज चार्ज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- (24) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये, जिससे टाइम ओवर रन एवं कॉस्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 300.00 लाख (रुपये तीन करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 6215021920500 पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-11-X-2026-27, दिनांक- 18 मई, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by  
RAJESHWARI PRASAD  
Date: 18-05-2026  
18:05:47

भवदीय,  
(राजेश्वरी प्रसाद)  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-01/2026/आर0एफ0-902/नौ-9-2026/002-ई-2036529, तद दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
7. कोषाधिकारी, जनपद-बदायूं/गाजीपुर/मऊ/हरदोई।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
9. बेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।
10. पी0एम0यू0 यूनिट, नगर विकास विभाग।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश्वरी प्रसाद)  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

## Allotment Grid Report


**वित्तीय वर्ष:-2026-2027**  
**आवंटन दिनांक-18/05/2026**

**प्रेषण संख्या:-** 81  
**आवंटन आदेश संख्या:-** 001-81-2026-RF-802-9-9-2026-002-E-2036529  
**अनुदान संख्या:-** 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)  
**लेखाशीर्षक:-** 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
02 - मल-जल तथा सफाई  
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता  
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	बदायूं-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
2	गाज़ीपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
3	हरदोई-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	15000000 15000000	15000000 15000000
4	मऊ-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
	<b>योग</b>	वर्तमान प्रगामी	30000000 30000000	30000000 30000000

**महायोग- (वर्तमान आवंटन):-** रूपया तीन करोड़  
**महायोग- (प्रगामी आवंटन):-** रूपया तीन करोड़

  
(देवेश मिश्र)  
संयुक्त सचिव